



केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली 110067

प्रथम अपील सं CICOM/A/P/25/00090
संदर्भ संचिका सं . CICOM/R/P/25/00146
अपीलकर्ता श्री प्रमोद कुमार सिंह

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	03.03.2025
संबंधित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को आवेदन प्राप्त होने की तिथि	11.03.2025
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	01.04.2025
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री बाबू लाल CPIO, (Dak Section)
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	03.04.2025
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्रथम अपील आवेदन प्राप्त होने की तिथि	08.04.2025
निर्णय की तारीख	29.04.2025

1. मांगी गई सूचना

अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 03.03.2025 के आर.टी.आई आवेदन के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं मांगी गई थी : .

“निवेदन है कि हीरालाल सांवरिया सूचना आयुक्त के द्वारा, रिश्वत खाकर या अनुग्रहित होकर और आम जनो को मुर्ख समझते और बनाते हुए हालांकि ऐसे बेईमान लोक अपने संवैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग हम आम जनता पर ही करता है। एक केस की सुनवाई एक पक्षीय कर दी और भ्रष्टाचार से संबंधित सूचना को नहीं दिलवाया। इस भ्रष्ट आयुक्त की सुनवाई की विडिओ रिकॉर्डिंग भी देखी जा सकती है कि कैसे इस सांवरिया ने एक पक्षीय सुनवाई कर भ्रष्टाचार किया है और इसी संबंध में मेरे द्वारा दिनांक 07.10.2024 के माध्यम से मुख्य सूचना आयुक्त को एक आवेदन भेजा गया था। जिसका आज तक उत्तर नहीं दिया गया। ऐसे ही CIC में काम होगा ? जनता के साथ छल भी किया गया जाये और शिकायत पर सुनवाई न की जाये ? यह भी भ्रष्ट हो गया क्या ? जो जनता के आवेदनों पर 4 माह तक कार्यवाही नहीं की गई ? अतः मुख्य सूचना आयुक्त के द्वारा मेरे दिनांक 07.10.2024 के पत्र पर कृत कार्यवाही की सूचना दी जाये। पक्ष पहुँचने की तिथि से लेकर आज किस स्थिति में है मेरा आवेदन, की सूचना दी जाये।”

2. प्रदान की गई सूचना

श्री बाबू लाल, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी ने पत्र दिनांकित 01.04.2025 के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं प्रेषित की गई -

"केंद्रीय सूचना आयोग के डाक अनुभाग में दिनांक 07.10.2024 का कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। हालांकि, एक ऐसा ही पत्र जो दिनांक 05.10.2024 का है, डाक अनुभाग में दिनांक 10.10.2024 को प्राप्त हुआ है जिसे संबंधित फाइल नंं CIC/SCOFI/A/2023/118898 से लिंक करके संबंधित रजिस्ट्री (सी.आई.सी. - एच.एस) को भेजा दिया गया है।"

3. प्रथम अपील का आधार

यह कितने आश्चर्य मिश्रित दुःख की बात है कि CIC भी RTI Act, 2005 के अनुपालन में, पूरी फेल है। CPIO, द्वारा निर्धारित समय सीमा में सूचना ना देकर CIC, ने एक शर्मिंदगी भरा उदाहरण प्रस्तुत किया है देश के सामने। अतः अपील दर्ज करते हुए आवश्यक कार्यवाही प्रारंभ की जाये, जिससे कि भ्रष्ट सूचना आयुक्त हीरालाल साँवरियाँ, के एक पक्षीय सुनवाई को देश के समक्ष रखा जा सके।

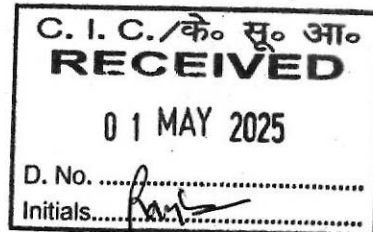
4. निर्णय

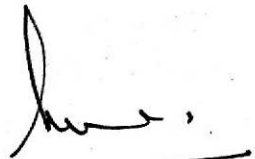
आर. टी. आई. आवेदन, प्रदान की गई सूचना एवं प्रथम अपील का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के आर.टी.आई. आवेदन सं. CICOM/R/P/25/00146 के प्रतिउत्तर में केंद्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित की गई सूचना सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों एवं मांगी गई सूचना के अनुसार ही है। परन्तु आपने अपनी प्रथम अपील में यह कहा है कि मुझे आज तक कोई सूचना नहीं प्रदान की गई है, जबकि केंद्रीय जन सूचना अधिकारियों ने 01.04.2025 को ही सूचना दे दी है। जिसकी प्रति प्रथम अपील के आदेश के साथ सलग्न कर दी गई है। अतः केंद्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना तथ्यात्मक है और इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

5. तदनुसार अपील निस्तारित की जाती है।

6. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश /निर्णय से संतुष्ट न हो तो अधिनियम की धारा 19 (3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति 90 दिनों के अंदर केंद्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।

निर्णय की दिनांक - 29.04.2025 .




रजिस्ट्रार & प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष : 011-26105021

प्रतिलिपि :

1.) केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

✓
(8) 01/05/25 O/C